HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 10767/2026
URN: CRLMB / 19950U / 2026

1. Rakesh Kumar @ Raku @ Chiya S/o Balwan Singh, R/o Budhwal, Police Station Nangal Choudhary, District Mahendragarh, Haryana. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).
2. Sachin @ Sacchu S/o Ramjas, R/o Pranpura, Police Station Bawal, District Rewari, Haryana. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/07/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह **द्वितीय** प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 324(2), 309(4), 309(6) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25 एवं 5/27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.2026 को निरस्त होने के पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज एक अन्य प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026 में उन्हें समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण से किसी प्रकार के जेवरात की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

प्रार्थी राकेश के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण 130/2026 है और सचिन के विरूद्ध दो मुकदमे बताए हैं, जिनमें से एक प्रकरण 130/2026 लम्बित है। उनका तर्क है कि अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभियुक्तगण पर परिवादी पर गोली चलाकर मारपीट कर रूपये एवं मोबाइल फोन छीनकर ले जाने का अभियोग है जो गम्भीर अपराध है। अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर अन्य हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर परिवादी पक्ष पर हमला करने, गोली चलाने तथा हथियारों के बल पर परिवादी के जेवरात व रूपये तथा मोबाइल छीनने, मारपीट करने एवं गाड़ी तोड़ने के अभियोग हैं। बाद में भी मुख्य गवाह सचिन पर पुनः हमला करने एवं इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026 दर्ज होने का तथ्य भी अभिलेख पर है। प्रार्थी/अभियुक्त राकेश के विरूद्ध एक तथा सचिन के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण इस प्रकरण के अलावा दर्ज हैं। उनका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन हुआ हो जिससे वे जमानत के अधिकारी हो जाएं, ऐसा अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

4/AJAY KUMAR SINGHAL/712